रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 426] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 27, 2012/भाद्र 5, 1934

No. 426] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 27, 2012/BHADRA 5, 1934

पोत परिवहन मंत्रालय

(दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय)

अधिसूचना

नौएडा, 9 अगस्त, 2012

सा.का.नि. 653(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, रेडियो तकनीशियन समूह 'ग' भर्ती नियम 2007 को, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में रेडियो तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, रेडियो तकनीशियन (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूत पूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रेडियो तकनीशियन	16 (2012)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5200 – 20200 ₹ + ग्रेड वेतन 2800 ₹	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय– समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके पैतालीस वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण 1.– आयु – सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू– कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2.– रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आवश्यक (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रोनिक्स या दूर संचार या इलैट्रोनिक्स और संचार इंजीनियरी में डिप्लोमा। (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम या किसी स्वायत निकाय में वायरलैस ट्रांसमीटर, रिसीवर, एरियल सिस्टम और सहबद्ध विद्युत संयत्र के संस्थापन और अनुरक्षण में एक वर्ष का व्यवहारिक अनुभव। वांछनीय : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम या किसी स्वायत निकाय में रडार या सूक्ष्मतरंग सूचना उपस्करों को चलाने का एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण .– अनुभव संबंधी अर्हता केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती। टिप्पणी :– पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के सदृश पदधारण करने वाले ऐसे पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी जिनके पास स्तंभ – (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव होगा ।	लागू नहीं होता।	विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– (1) ज्येष्ठतम उप महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय – अध्यक्ष ; (2) निदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय – सदस्य ; (3) अवर सचिव (एस0एल0), पोत परिवहन मंत्रालय – सदस्य ।	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 3/9/2011-प्रशा-I]

कैप्टन ए. एम. सूरज, महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत

MINISTRY OF SHIPPING

(Directorate General of Lighthouses and Lightships)

NOTIFICATION

Noida, the 9th August, 2012

G.S.R. 653(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Lighthouses and Lightships, Radio Technician, (Group "C" Non-Gazetted, Non-Ministerial post) Recruitment Rules, 2007, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Radio Technician in the Ministry of Shipping, Directorate General of Lighthouses and Lightships, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Shipping, Directorate General of Lighthouses and Lightships, Radio Technician (Group 'C'), Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.- The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications. – No person ;

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in those rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Radio Technician.	16 (2012)* * Subject to variation depend on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	₹ 5200-20200 Plus ₹ 2800 grade pay.	Not applicable.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and forty five years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2.-In case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	**Essential:** (i) Diploma in Electronics or Telecommunication or Electronics and Communication Engineering from a recognised institution. (ii) One year's practical experience in installation and maintenance of wireless transmitters, receivers, aerial systems and associated power plants in the Central Government or the State Government or a Public Sector Undertaking or any autonomous body. **Desirable:** One year's experience in handling of Radar or microwave Communication equipments in the Central Government or the State Government or a Public Sector Undertaking or any autonomous body. Note.- The qualification regarding experience is

3216GI/12-2

					relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	Direct recruitment. Note. - Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous post on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.	Departmental Promotion Committee (for confirmation) comprising of: (1) Seniormost Dy. Director General of Lighthouses and Lightships - Chairman; (2) Director, Directorate General of Lighthouses and Lightships - Member; (3) Under Secretary (SL), Ministry of Shipping - Member.	Not applicable.

[F. No. 3/9/2011-Admn.-I]

Capt. A. M. SUREJ, Director General of Lighthouses and Lightships

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.